

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर बड़वानी जिले के सेंधवा वनमण्डल अन्तर्गत NDB-II योजनांतर्गत सेंधवा-वरला मुख्य जिला मार्ग (एम.पी.-एम.डी.आर.-48-22) मार्ग उन्नयन हेतु 5.518 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, बड़वानी को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	---

दिनांक: 8.12.2020
स्थान: भोपाल

(पदमाप्रिया बालकृष्णन)

(संयोजक या बालकृष्णन)

म.प्र. शासन वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)